भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1192

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट

1192. श्रीमती गुन्डु सुधारानी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में जारी की गई भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012–13 का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है?

<u>उत्तर</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क): भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 2012-13 आईडीएफसी फाउंडेशन, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान को मिलाकर बनाए गए कन्सॉर्टियम द्वारा भारत में ग्रामीण विकास की स्थिति के संबंध में तैयार किया गया एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण मूल्यांकन अध्ययन है। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को उजागर किया गया है और इनमें आजीविका, स्थायित्व, सामाजिक समावेशन, अवसंरचना, शासन और भागीदारी शामिल हैं। रिपोर्ट में प्रमुख चुनौतियों और कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य निष्पादन के संबंध में एक अलग से अध्याय दिया गया है।

(ख): रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों को दूर करने के लिए किए गए कार्यक्रम-वार प्रयास अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>मनरेगा</u>

i. मंत्रालय ने नए प्रचालन दिशा-निर्देश, 2013 जारी किए हैं जिसमें रिपोर्ट में उजागर की गई चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रावधान और प्रक्रियाविधि के बारे में बताया गया है।

ii. राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि यदि मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में, वे विलंब से किए गए मजदूरी के भुगतान के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को लागू करें।

iii. समय पर भुगतान करने, पारदर्शिता बरतने और मजदूरी के भुगतान में ईमानदारी को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ मनरेगा श्रमिकों को बैंकों या डाकघरों में खोले गए संस्थागत खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-।। में संशोधन किया गया (जब तक कि विशेष छूट नहीं दे दी जाती)।

iv. मजदूरों को मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एफएमएस) शुरू करने के निदेश दिए गए हैं। 18 राज्यों ने ई-एफएमएस शुरू कर दी है। राज्यों में ई-एफएमएस शुरू करने की अंतिम समय सीमा मार्च, 2014 निर्धारित की गई है।

v. शिकायतों का निवारण करने के लिए सभी राज्यों को जिला स्तर पर ओम्बड्समैन तैनात करने के निदेश दिए गए।

<u>आईएवाई</u>

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.4.2013 से लाभार्थियों को स्थानीय रूप से उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी का चयन करने की छूट दी गई है।
- आईएवाई के साथ टीएससी के तालमेल के प्रति धीमी प्रतिक्रिया के मुद्दे को हल करने के लिए, 1.4.2013 से आईएवाई के साथ निर्मल भारत अभियान के तालमेल को अनिवार्य कर दिया गया है। आईएवाई मकानों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 1.4.2013 से, आईएवाई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों की 4 प्रतिशत राशि का उपयोग इस योजना के संचालन के लिए किया जा सकता है। प्रशासनिक व्यय के तहत खर्च की कुछ पात्र मदें हैं – विशेष रूप से विभिन्न डिजाइनों और प्रौद्योगिकी विकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित आईईसी सामग्री तैयार करना, लाभार्थियों को बसावट और आवास के बारे में जानकारी देना, मास्टर राज मिस्त्रियों और लाभार्थियों का प्रशिक्षण, प्रोटोटाइपों का निर्माण तथा प्रदर्शन के लिए छोटे स्तर के मॉडल तैयार करना।

- भूमिहीन परिवारों पर और अधिक ध्यान देने के लिए 1.4.2013 से, आईएवाई के अंतर्गत आवास-स्थलों की खरीद के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रू. से बढ़ाकर 20,000 रू. कर दी गई है।
- संशोधित दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवारों को भूमिहीन माना जाएगा जिनके पास 2 सेंट से कम जमीन है।

<u>एनआरएलएम :</u>

i. गरीबों के निर्धारण की भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया (पीआईपी) के माध्यम से लक्षित समूह का निर्धारण करके एनआरएलएम के तहत लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार।

ii. पूंजीगत सब्सिड़ी के स्थान पर सामुदायिक निवेश सहायता कोष।

iii. पहले चरण में 150 जिलों में ब्याज सब्सिड़ी और शीघ्र ऋण चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिड़ी।

iv. ब्लॉक और उप ब्लॉक स्तरों पर व्यावसायिक सहायता लागत को संस्था एवं क्षमता विकास लागत मानना।

v. कौशल और रोजगार परियोजनाओं के लिए एनआरएलएम आबंटन में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रावधान।

vi. एनआरएलएम के तहत राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी की स्थापना। यह सोसाइटी एनआरएलएम कार्यक्रम प्रभाग के तकनीकी सहायता एकक के रूप में कार्य करेगी।

<u>एनएसएपी :</u>

i. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निधियों के सुचारू प्रवाह के लिए एनएसएपी – एमआईएस नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। लाभार्थियों के बैंक खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था में शामिल किया जाता है ताकि पेंशन राशि संवितरण कार्यालय से सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित हो जाए।

ii. जुलाई, 2013 में डीबीटी व्यवस्था 26 राज्यों के 121 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है और अब देश के शेष जिलों में डीबीटी शुरू करने के अनुदेश दिए जा रहे हैं।